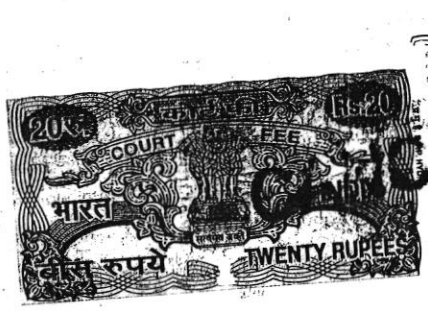

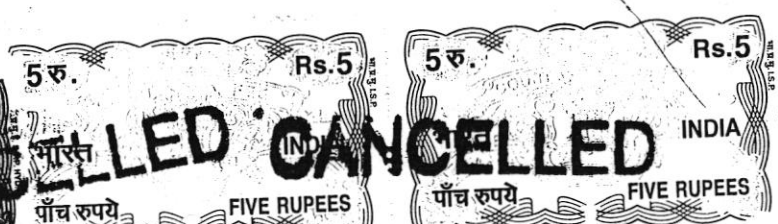

5 रु. Rs.5 5 रु. Rs.5

COURT FEE 20 रु. Rs.20 भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

CANCELLED CANCELLED INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश, ग्वालियर (पीठ-जबलपुर) म.प्र.

R 884-I-17

पुनरीक्षण क्र: /2016-17

पुनरीक्षणकर्ता: भवानी सिंह लोधी पिता स्व. सोने सिंह लोधी उम्र-58, वर्ष निवासी-ग्राम मैली पो. गुबराकला तहसील शहपुरा जिला जबलपुर म.प्र.

(290)

श्री अनिलमणि त्रिपाठी
अधिवक्ता
प्रस्तुतकर्ता रीडर
14 FEB 2017
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959.

यह कि, पुनरीक्षणकर्ता, न्यायालय आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर, के रा.अ.प्र.क्र-146/अ-6/15-16, आ. दिनांक-01.10.2016 से व्यथित होकर एवं मान. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रस्तुत की जा रही है :

:: तथ्य ::

1. यहकि पुनरीक्षणकर्ता /आवेदक द्वारा राजस्व विचारण न्या. अनुविभागीय अधिकारी पाटन जबलपुर के यहां अभिलेख दुरुस्ती का आवेदन पत्र धारा 89 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत करते हुये संक्षिप्त कथन किये थे कि मौजा मैलो प.ह.न. 38 (पुराना 39) राजस्व निरीक्षक मंडल पिपरिया कला, तहसील शहपुरा (पाटन) जिला-जबलपुर म.प्र. स्थित खसरा नंबर 49 (पुराना खसरा 93/1, 93/3) रकबा 6.38 हैक्टयर, भूमि पुनरीक्षणकर्ता की मां काशी बाई बेवा सोनेसिंह के नाम दर्ज थी।

2. यहकि पुनरीक्षणकर्ता की मां की फौत होने पर भाईयों को बंटवारा ... 0.410 हैक्टयर, बंद

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी–884–एक/17 **जिला** – जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/01/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 146/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 01.10.2015 के विरुद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि विद्वान आयुक्त द्वारा अभिलेख के आधार पर यह पाया गया है कि आवेदक द्वारा चाहे गए कम रकवे की पूर्ति शासकीय खसरा नं. 47, 48 मद नाला एवं खसरा नं. 42, 66 मद रास्ता से रकवा कम कर आवेदक के खाते में कमी रकबे की पूर्ति का प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक द्वारा दिया गया है और यदि आवेदक की भूमि की पूर्ति शासकीय रकवे से की जाती है तो शासकीय रकवा प्रभावित होगा। शासकीय रकवा प्रभावित होने के कारण विद्वान आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील को निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रशासकीय सदस्य	